रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2160]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2019/आषाढ़ 14, 1941
No. 2160]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2019/ASHADHA 14, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2019

का.आ. 2382(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1267 (अ), तारीख 16 नवम्बर, 2004 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 बी के त्रिची- मेल्लूर - मदुरै सेक्शन के 0.000 कि.मी. से 125.000 कि.मी. तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988(1988 का 68)की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 45 बी, के 0.000 कि.मी. से 124.840 कि.मी. के त्रिची बाइपास- तोवरंकुरिची- मदुरै सेक्शन तक को प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण(ओ एम टी) आधार पर विकास करने हेतु 26.11.2012 को प्रस्तुत बोली के लिए रियायतग्राही मेसर्स ईगल दीप त्रिची बाइपास टोलवेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. एम-2, रिजेंसी गार्डन अपार्टमेंट, रतनदीप के सामने, उल्हासनगर-421003, महाराष्ट्र में है(जिसे इसमें इसके पश्चात "रियायतग्राही" कहा गया है), के साथ 21, फरवरी, 2013 को करार किया है।

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 1355 (अ), तारीख 24 मई, 2013 द्वारा रियायतग्राही, मैसर्स मेसर्स ईगल दीप त्रिची बाइपास टोलवेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से करार में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख के समापन तक तमिलनाडु राज्य में ओएमटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45

बी के 0.000 कि.मी. से 124.840 कि.मी के त्रिची बाइपास- तोवरंकुरिची- मदुरै सेक्शन तक के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया है;

और यतः, भाराराप्रा ने ओएमटी रियायत करार के समापन के पश्चात, बीओटी रियायतग्राही से प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का कार्य 10.12.2018 से अपने हाथ में ले लिया। रियायतग्राही ने समाप्त किए गए ओएमटी रियायत करार के तहत भाराराप्रा के विरुद्ध मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की है। भाराराप्रा द्वारा शुल्क अधिसूचना संख्या का.आ 1355 (अ) तारीख 24.05.2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। तथापि, इस शुल्क अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भाराराप्रा इस शुल्क अधिसूचना के अधीन प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण करेगा।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात"नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 1355 (अ) तारीख 24.05.2013 के अधिक्रमण में, तमिलनाडु राज्य में, राजमार्ग संख्या 45 बी के डिज़ाइन 0.317 कि.मी. से 124.840 कि.मी. के त्रिची बाइपास- तोवरंकुरिची- मदुरै सेक्शन तक चार या उससे अधिक लेन खंडों के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 94.98 कि.मी. और 4.60 कि.मी (जिनकी लंबाई 0.46 किमी है) की लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर और बाइपासों जिनकी लम्बाई 29.083 कि.मी. और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है के उपयोग हेतु नीचे सारिणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर 150% की आधार दर से शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. **नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः**

सारणी-2

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई जिले में बूथाकुडी गांव के निकट रारा-45 बी के 21/020 किमी पर	47.950 (10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के बाइपास और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	**ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन का 100%**
तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में चित्तमपट्टी गांव के निकट रारा-45	47.030 (10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के बाइपास और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को	**ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और**

बी के 113/630 किमी पर	छोड़कर)	**अधिक लेन का 100%**

2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

सारणी-3

शुल्क प्लाजा का **अवस्थान (चैनेज)**	**बाइपास का नाम**	**पर शुरू हो कर**	**पर मिलते हुए**	**बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लम्बाई (कि.मी में)	**लागत(करोड़ रूपए में)**	
तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई जिले(टीपी-1) में बूथाकुडी गांव के निकट रारा-45 बी के 21/020 किमी पर	**रारा- 45 बी का त्रिची बाइपास**	**डिज़ाइन 0/317 कि.मी.**	**डिज़ाइन 5/100 कि.मी.**	4.323 **(**60 **मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर**)	18.96	**ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%**
	रारा-45 बी का विरालीमल्लई बाइपास	**डिज़ाइन 24/750 कि.मी.**	**डिज़ाइन** 28/700 **कि.मी.**	3.950	15.297	
	रारा-45 बी का तोवरंकुरिची बाइपास	**डिज़ाइन 57/000 कि.मी.**	**डिज़ाइन** 60/950 **कि.मी.**	3.950	15.297	
तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले(टीपी-2)में चित्तमपट्टी गांव के निकट रारा-45 बी के 113/630 किमी पर	**रारा-45 बी का कोट्टमपट्टी बाइपास**	**डिज़ाइन 75/900 कि.मी.**	**डिज़ाइन 79/600 कि.मी.**	3.700	15.442	
	रारा-45 बी का मेल्लूर बाइपास	**डिज़ाइन 97/250 कि.मी.**	**डिज़ाइन 104/530 कि.मी.**	7.280	29.820	
	रारा-45 बी का ओथकड़ई बाइपास	**डिज़ाइन 118/960 कि.मी.**	**डिज़ाइन 124/840 कि.मी.**	5.880	24.08	
	कुल			**29.083**		

3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

सारणी-4

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु *संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है

तमिलनाडु राज्य के पुडुकोट्टई जिले(टीपी- 1) में बूथाकुडी गांव के निकट रारा-45 बी के 21/020 किमी पर	0.554 किमी से 0.914 किमी=0.360	3.60	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	4.326 किमी से 4.426 किमी=0.100	1.00	
तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले(टीपी-2)में चित्तमपट्टी गांव के निकट रारा-45 बी के 113/630 किमी पर	शून्य	शून्य	
कुल	0.460	4.600	

* ब्यौरा निम्नलिखित है:

	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किलोमीटर में)
	किमी से	किमी तक		
1	0.554	0.914	फ़्लाइओवर पुल	0.360
2	4.326	4.426	बड़ा पुल	0.100
कुल				**0.460**

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष **2019-20** के लिए मासिक पास की दर **265.00/-**रूपए (दो सौ पैंसठ रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का **50%** होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम **12** के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के **नियम 5** के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस **परियोजना की पूंजीगत लागत का 31.12.2018 तक वर्तमान मूल्य 526.73 करोड़ रुपए है**। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर **40%** कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फ़ा. सं. भाराराप्रा/13013/746/सीओ/12-13/जीसी-त्रिची(0.000-124.840]

प्रियांक भारती संयुक्त सचिव**,**

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2019

S.O. 2382(E). — Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1267(E) dated the 16th November, 2004 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 125.000 Trichy – Melur – Madurai Section of National Highway No.45B, in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas pursuant to the provisions of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) the Authority has entered into an Agreement on February 21, 2013 with the Concessionaire M/s. Eagle Deep Trichy Bypass Tollways India Private Limited having registered office at Flat No.M-2, Regency Garden Apartment Opp. Ratandeep, Ulhasnagar – 421003, Maharashtra (herein after referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 26.11.2012 for the development of Trichy Bypass – Tovarankurichi – Madurai section from kilometer 0.000 – kilometer 124.840 on National Highway No.45B in the State of Tamil Nadu on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 1355 (E) dated 24th May, 2013 authorised the Concessionaire M/s. Eagle Deep Trichy Bypass Tollways India Private Limited, for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of Trichy Bypass – Tovarankurichi – Madurai section from kilometer 0.000 – kilometer 124.840 on National Highway No.45B in the State of Tamil Nadu on OMT basis on and from the Date of Commercial Operation declared by the Authority and till the termination date as specified in the Agreement;

And whereas, the user fee collection has been taken over by NHAI from BOT Concessionaire w.e.f. 10.12.2018 after termination of the OMT concession agreement. The concessionaire has invoked arbitration against the NHAI under OMT concession agreement which has been terminated. NHAI is continuing the user fee collection as per provisions in fee notification vide SO No. 1355(E) dated 24.05.2013. However, after publication of this fee notification, NHAI shall collect user fee as per provisions under the fee notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), and in supersession of the notification number S.O. 1355 (E) dated 24th May, 2013, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 94.98 km for the use of four and more alone section and for equivalent structure length (having length

more than 60m) of 4.60 km (having length of 0.46 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 29.083 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Trichy bypass – Tovarankuruchi – Madurai from design kilometer 0.317 to Kilometer 124.840 of National Highway No.45B in the State of Tamil Nadu and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	**4.20**

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km.21/020 of NH 45B near Boothakudi Village in Pudukkottai District in the State of Tamil Nadu.	47.950 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km.113/630 of NH 45B near Chittampatti village in Madurai District, in the State of Tamil Nadu.	47.030 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) : -

Table -3

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km.21/020 of NH 45B near Boothakudi village in Pudukkottai District (TP-1) in the State of Tamil Nadu	Trichy bypass of NH 45B.	Design Km. 0/317	Design Km. 5/100	4.323 (Excluding length of structure >60m)	18.96	150% of the base rates mentioned in table-1 above.
	Viralimalai bypass of NH 45B	Design Km.24/750	Design Km.28/700	3.950	15.297	

	Tovarankuruchi bypass of NH 45B	Design Km.57/000	Design Km.60/950	3.950	15.297	
At Km.113/630 of NH 45B near Chittampatti village in Madurai District (TP-2) in the State of Tamil Nadu	Kottampatti bypass of NH 45B	Design Km.75/900	Design Km.79/600	3.700	15.442	
	Melur bypass of NH 45B	Design Km.97/250	Design Km.104/530	7.280	29.820	
	Othakadai bypass of NH 45B	Design Km.118/960	Design Km.124/840	5.880	24.08	
	Total			**29.083**		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length of structures * on section (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent Road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At Km.21/020 of NH 45B near Boothakudi village in Pudukkottai District (TP-1) in the State of Tamil Nadu	Km 0.554 to 0.914 = 0.360	3.60	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Km 4.326 to 4.426 = 0.100	1.00	
At Km.113/630 of NH 45B near Chittampatti village in Madurai District, (TP-2) in the State of Tamil Nadu.	Nil	Nil	
TOTAL	**0.460**	**4.600**	

*The details are as under: -

	Chainage		**Type of Structure**	**Length (in Km.)**
	From Km.	**To Km.**		
1.	0.554	0.914	Flyover Bridge	0.360
2.	4.326	4.426	Major Bridge	0.100
	Total			**0.460**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 265.00 (Rupees two hundred and sixty-five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys	Period of validity

	allowed	
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The present value of Capital Cost of the Project as on 31.12.2018 is Rs.526.73 Crore. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/746/CO/12-13/GC–Trichy (0.000-124.840]
PRIYANK BHARTI Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.07.10 13:28:19 +05'30'